

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
नगरीय निकाय निदेशालय,  
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 16 नवंबर, 2023

विषय:- नगर विकास विभाग की सुगम पोर्टल को प्रोजेक्ट-मोड में विकसित कराये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-491/आई0टी0/सुगम/2023, दिनांक 30.10.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर विकास विभाग की सुगम पोर्टल को प्रोजेक्ट-मोड में विकसित कराये जाने हेतु **रु० 42,10,582.00 (रुपये बयालीस लाख दस हजार पांच सौ बयासी मात्र)** की धनराशि निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों**

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/नोडल खाते में रखी जायेगी।
- (2) नगरीय निकाय के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तों/प्रतिबन्ध के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।
- (3) अवमुक्त धनराशि का उपभोग भारत सरकार की गाइड-लाइन्स के अनुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/शासन/महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को उपलब्ध कराया जाय।
- (4) धनराशि एकमुश्त अहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि का कोई अंश बैंक/पोस्ट ऑफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखा जायेगा, इसका रख-रखाव भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।
- (6) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
- (8) यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य अन्य किसी कार्य योजना से संबंधित है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 42,10,582 ( रुपये बयालीस लाख दस हजार पांच सौ बयासी मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217808000300 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर क्रियान्वित परियोजनाओं के अन्तर्गत परामर्शी सेवाएं मानक मद 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,  
16.11.2023  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-190/2023/6377/नौ-5-2023/001-Computer No-1755768, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3-जिलाधिकारी, लखनऊ।
- 4-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5-सहायक निदेशक (लेखा) नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 7-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 8-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 9-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,  
16.11.2023  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।